

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:—308/2018
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्या:— 88/53 आरटीए

1. जगदीश पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादी

बनाम्

1. बनवारीलाल पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. सुनीता देवी पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. बिरमा देवी पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुखपाल पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. चन्द्रपाल पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. शान्ति देवी पत्नी श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. पवन कुमार पुत्र श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
8. हंसराज पुत्र श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. मन्जू पुत्री श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. चन्द्रकला पत्नी श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. सुशीला पुत्री श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. भीमसैन नैण पुत्र श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. शिमला देवी पुत्री श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. जैता पुत्री श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
15. विमला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
16. नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
17. जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
18. कृष्णचन्द्र पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
19. मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
20. सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
21. जोतराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

22. बलराम पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
23. हेतराम पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
24. पृथ्वीराज पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
25. मीरा पुत्री श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
26. तुलछा देवी पुत्री श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
27. ओमप्रकाश पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
28. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
29. भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक।
30. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

1. श्री कुलदीप मूण्ड अधिवक्ता – वादी
2. श्री सन्तोष सोलकी अधिवक्ता – प्रतिवादी संख्या 1 ता 21

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादीया व प्रतिवादीगण का पंजीकृत पता व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानों के अनुसार वही है जो कि वाद शीर्षक में अंकित है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 आपस में एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 आपस में एक सयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की सयुक्त आराजी तहसील संगरिया के विभिन्न चकों के सांझा खातों में राजस्व रिकार्ड है। उक्त सांझा खातों की कृषि भूमि की जमाबन्दी सलंगन वाद पत्र है। उक्त सांझा खाता की कृषि भूमि का विवरण निम्न प्रकार से हैं :-

चक	खाता सं.	जमाबन्दी सम्वत्	कृषि भूमि
5 एम.जे.डी.	7/7	2070-73	0.506 है.
5 एम.जे.डी.	47/50	2070-73	5.061 है.
10 एन.टी.डब्ल्यू.	75/63	2069-72	5.819 है.
6 एन.टी.डब्ल्यू.	62/54	2069-72	8.857 है.
6 एन.टी.डब्ल्यू.	63/50	2069-72	4.892 है.
17 बी.जी.पी.	115/90	2068-71	2.024 है.

वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि विरासतन हैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है, वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 ने वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन अच्छी मन्दी के अनुसार काफी समय पूर्व कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। मुताबिक घरू विभाजन चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 18 व मृतक ओमप्रकाश के नाम से दर्ज कुल 0.506 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 16 व 17 को ब.हि.ब. के

खातेदार काश्तकार घोषित करवा प्रतिवादी सं. 18 व मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 47/50 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में मृतक रामप्रताप एवं प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 12 व 21 के नाम से दर्ज कुल 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.125 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी सं. 4, 5 व 12 को 0.405 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1,6ता11,21 एवं मृतक रामप्रताप का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार चक 10 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 75/63 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में मृतक रामप्रताप, ओमप्रकाश, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 1,4,5,10ता12,18 व 21 के नाम से दर्ज कुल 5.819 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित करवा मृतक रामप्रताप, ओमप्रकाश, जसराम का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 62/54 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में मृतक ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10ता12,18व21 के नाम से दर्ज कुल 8.857 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 16 व 17 को 2.477 है. कृषि भूमि के, प्रतिवादी सं. 18 ता 20 को 2.660 है. कृषि भूमि के तथा प्रतिवादी सं. 21 को 3.720 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा मृतक ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10 ता 12 का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. के खाता सं. 63/50 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10ता12,18व21 के नाम से दर्ज कुल 3.995 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4,5 व 12 को 3.694 है. कृषि भूमि के तथा प्रतिवादी सं. 18 ता 20 को 0.329 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करवा ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 10,11,21 का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं, इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 115/90 जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 में रामप्रताप, जसराम, रघुवीर एवं प्रतिवादी सं. 1,4,5 व 21 के नाम से दर्ज कुल 2.024 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4,5 व 12 को 0.405 है. कृषि भूमि के एवं प्रतिवादी सं. 21 को 0.809 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित करवा रामप्रताप, जसराम, रघुवीर एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन करवाना चाहते हैं। इसी तरह की घोषणात्मक डिक्री वादी प्राप्त करने का अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि विरासतन हैं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त परिवार की संयुक्त आराजी है, में वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व ;ठल इपतजी त्पहीजद्ध निहित है परन्तू उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के बंटवारानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारो आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 21 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 2,3,9ता11,13ता15 ने उक्त विरासतन कृषि भूमि में अपने हक का परित्याग मौखिक रूप से वादी व प्रतिवादी सं. 4ता8,12,16ता21 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया। जिनका अब उक्त भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा हैं। वादी व प्रतिवादी सं. 4ता8,12,16ता21 को घरू तौर पर बंटवारा में प्राप्त विरासतन कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्न प्रकार से प्राप्त हुई हैं :-

(क) वादी जगदीश पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 47/50 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
162/181	17	7,13/0.253 है.प्र., 14/0.101 है., 18/0.253 है.
162/182	26	8,9,12,13,14/0.253 है.प्र., कुल 2.125 है. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 4,5 व 12 क्रमशः सुखपाल पुत्र श्री मनफुलराम चन्द्रपाल पुत्र श्री मनफुलराम, भीमसैन पुत्र श्री रघुवीर समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 47/50 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
162/181	17	14/0.152 है., 15/0.253 है. कुल 0.405 है. कृषि भूमि

चक 17 बी.जी.पी. खाता सं. 115/90 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/168	89	21/0.152 है.
157/169	95	1/0.253 है. कुल 0.405 है. कृषि भूमि

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 63/50 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
170/176	50	6,7,14,15/0.253 है.प्र.
171/176	51	3,4,5/0.228 है.प्र., 6ता11/0.253 है.प्र., 12/0.228 है.
172/176	52	1/0.159 है.

मुमकिन 3.601 है., गै.मु. 0.093 है., कुल 3.694 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ग) प्रतिवादी सं. 6 ता 8 क्रमशः शान्ति देवी पत्नी श्री जसराम, पवन पुत्र श्री जसराम, हंसराज पुत्र श्री जसराम समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 10 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 75/63 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157/174	64	10,11,12,18ता23/0.253 है.प्र.
156/174	65	6,7,12ता19,22ता25/0.253 है.प्र. कुल 5.819 है. कृषि भूमि

(घ) प्रतिवादी सं. 16,17,19,20 क्रमशः नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द, सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 17 बी.जी.पी. खाता सं. 115/90 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157 / 168	89	11 / 0.253 है., 12 / 0.203 है., 20 / 0.253 है., 21 / 0.101 है. कुल 0.810 है. कृषि भूमि

(ङ) प्रतिवादी सं. 16, 17 क्रमशः नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 62/54 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172 / 174	43	17ता23 / 0.253 है.प्र.
172 / 175	47	1 / 0.084 है., 2 / 0.228 है., 9 / 0.184 है., 10 / 0.185 है.

मुमकिन 2.452 है., गै.मु. 0.032 है., कुल 2.488 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 7/7 जमाबन्दी सम्मत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
160 / 179	4	1 / 0.228 है., 10 / 0.253 है.

मुमकिन 0.481 है., गै.मु. 0.025 है., कुल 0.506 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(च) प्रतिवादी सं. 18,19,20 क्रमशः कृष्णचन्द्र पुत्र श्री रामप्रताप, नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश, मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द, सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द्र समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की ब.हि.ब. कृषि भूमि :-

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 62/54 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172 / 175	47	3 / 0.228 है., 8 / 0.253 है., 9 / 0.069 है., 10 / 0.060 है., 11ता13,18ता22 / 0.253 है.प्र.

कुल 2.634 है., गै.मु. 0.026 है., कुल 2.660 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 63/50 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172 / 176	52	1 / 0.069 है., 2 / 0.253 है.

कुल 0.322 है., गै.मु. 0.007 है., कुल 0.329 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(छ) प्रतिवादी सं. 21 जोतराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-
चक 17 बी.जी.पी. खाता सं. 115/90 जमाबन्दी सम्मत् 2068-71

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
157 / 168	89	1,9,10 / 0.253 है.प्र., 12 / 0.050 है.
		कुल 0.809 है. कृषि भूमि

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 62/54 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
172 / 175	47	1 / 0.169 है., 10 / 0.008 है.
171 / 175	48	6 / 0.228 है., 7ता9,12ता14 / 0.253 है.प्र., 15,16 / 0.228 है.प्र., 17,18,23,24 / 0.253 है.प्र., 25 / 0.228 है.

मुमकिन 3.601 है., गै.मु. 0.119 है., कुल 3.720 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(झ) प्रतिवादी सं. 27 ओमप्रकाश पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक व हिस्सा की कृषि भूमि :-

चक 6 एन.टी.डब्ल्यू. खाता सं. 63/50 जमाबन्दी सम्मत् 2069-72

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
171 / 176	51	12 / 0.025 है.

कुल 0.025 है. कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 को विरासतन तौर पर प्राप्त समस्त कृषि भूमि जिसका वर्णन वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित किया गया है। वाद पत्र की चरण सं. 5 के अनुसार वादी खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 21 को प्रश्नगत भूमि जो वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 21 की संयुक्त परिवार की संयुक्त एवं विरासतन आराजी है। वादी ने प्रतिवादी सं. 1 ता 21 को विरासतन हक, हिस्सा व बंटवारानुसार दर्ज करवा खाता विभाजन करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर गत सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गया। बस यही वाद कारण है।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रति स. 1 ता 21,28,30 की तरफ से जरिये वकील जवाब दावा पेश किया गया जो शामिल मिसल किया गया। प्रति स. 22 ता 27, 29 बावजूद तामील हाजिर अदालत नही आये अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादी जगदीश का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश हुआ जो शामिल मिसल किया गया। वकील [वादी/प्रतिवादीगण](#) द्वारा ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्य वादी/प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने वादपत्र व जवाबदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सहकाश्तकार होना एवं वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 सहमति का जवाब दावा के अनुसार स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। लेकिन अपने कब्जा काश्त के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किये। न्यायालय के मत में कोई भी पक्ष अपना कब्जा साबित करने में सफल नहीं हुआ है, अतः वादग्रस्त खाता के सभी सहखातेदारों की उपस्थिति में तहसीलदार राजस्व संगरिया से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किये जाने से स्पष्ट है कि वादी ने अपने कब्जा काश्त बाबत किसी तरह की कोई साक्ष्य पेश नहीं की है मौका पर कब्जा काश्त की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण एवं वादी के उक्त दावा में प्रतिवादीगण सह-खातेदार काश्तकार होने के कारण इनके हित को ध्यान में रखते हुए वादी के वादपत्र में तहसीलदार संगरिया से मौका रिपोर्ट मय प्रमाणित नजरी नक्शा मंगवाया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 7/7 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में प्रतिवादी सं. 18 व मृतक ओमप्रकाश के नाम से दर्ज कुल 0.506 है. कृषि भूमि के प्रतिवादी सं. 16 व 17 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 18 व मृतक ओमप्रकाश का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 5 एम.जे.डी. के खाता सं. 47/50 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में मृतक रामप्रताप एवं प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 12 व 21 के नाम से दर्ज कुल 2.530 है. कृषि भूमि में से वादी को 2.125 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार एवं प्रतिवादी सं. 4, 5 व 12 को 0.405 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1,6 ता11,21 एवं मृतक रामप्रताप का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 10 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 75/63 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में मृतक रामप्रताप, ओमप्रकाश, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 1,4,5,10ता12,18 व 21 के नाम से दर्ज कुल 5.819 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 6 ता 8 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक रामप्रताप, ओमप्रकाश, जसराम का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 62/54 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में मृतक ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10ता12,18व21 के नाम से दर्ज कुल 8.857 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 16 व 17 को 2.477 है. कृषि भूमि के, प्रतिवादी सं. 18 ता 20 को 2.660 है. कृषि भूमि के तथा प्रतिवादी सं. 21 को 3.720 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर मृतक ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10ता12 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 6 एन.टी.डब्ल्यु. के खाता सं. 63/50 जमाबन्दी सम्वत् 2069-72 में ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 4,5,10ता12,18व21 के नाम से दर्ज कुल 3.995 है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4,5 व 12 को 3.619 है. कृषि भूमि के तथा प्रतिवादी सं. 18 ता 20 को 0.329 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर ओमप्रकाश, रामप्रताप, जसराम एवं प्रतिवादी सं. 10,11,21 का नाम कलमजन किया जावे, इसी प्रकार चक 17 बी.जी.पी. के खाता सं. 115/90 जमाबन्दी सम्वत् 2068-71 में रामप्रताप, जसराम, रघुवीर एवं प्रतिवादी सं. 1,4,5 व 21 के नाम से दर्ज कुल 2.024

है. कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 4,5 व 12 को 0.405 है. कृषि भूमि के एवं प्रतिवादी सं. 21 को 0.809 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित कर रामप्रताप, जसराम, रघुवीर एवं प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जाकर समस्त सह—काश्तकारो के हिस्सा अनुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना की जाकर अच्छी मन्दी, खाला, रास्ता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयारकर नजरी नक्शा हस्ताक्षरित व अनुशंषा सहित रिपोर्ट भिजवाने हेतु तहसीलदार राजस्व संगरिया को अलग से लिखा जावे। प्राथमिक पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

मूल वाद में अन्तिम डिक्री बमुकद में ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:-308 / 2018

1 जगदीश पुत्र श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम्

- 1 बनवारीलाल पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 2 सुनीता देवी पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 3 बिरमा देवी पुत्री श्री बनवारीलाल जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 4 सुखपाल पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 5 चन्द्रपाल पुत्र श्री मनफुलराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 6 शान्ति देवी पत्नी श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 7 पवन कुमार पुत्र श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 8 हंसराज पुत्र श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 9 मन्जू पुत्री श्री जसराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 10 चन्द्रकला पत्नी श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 11 सुशीला पुत्री श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 12 भीमसैन नैण पुत्र श्री रघुवीर जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 13 शिमला देवी पुत्री श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 14 जैता पुत्री श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 15 विमला देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 16 नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 17 जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 18 कृष्णचन्द्र पुत्र श्री रामप्रताप जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 19 मनोज कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 20 सुशील कुमार पुत्र श्री कृष्णचन्द्र जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 21 जोतराम पुत्र श्री लिछमणराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 22 बलराम पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 23 हेतराम पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 24 पृथ्वीराज पुत्र श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 25 मीरा पुत्री श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 26 तुलछा देवी पुत्री श्री लिखमा जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 27 ओमप्रकाश पुत्र श्री गुगनराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
- 28 ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
- 29 भारतीय स्टेट बैंक शाखा संगरिया जरिये शाखा प्रबन्धक ।
- 30 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया ।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री सन्तोष सोलकी प्रतिवादी संख्या 1 ता 21 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व तहसीलदार संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार निम्नानुसार अन्तिम डिग्री दी जाती है :-

- 1 सुखपाल,चन्द्रपाल पि. मनफूल राम, भीमसैन पुत्र रघुवीर बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना राहिन एसबीआई संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
170/176	50	5,7,14,15/1.012 है.
171/176	51	3,4,5/0.228 है.प्र. 6 ता 11/1.518 है., 12/0.228 है.
172/176	52	12/0.160 है. कुल 3.602 है. नहरी 0.092 गै.मु. खाला कुल क्षेत्रफल 3.694 है.
- 2 कृष्णचन्द्र पुत्र रामप्रताप, मनोज कुमार, सुशील कुमार पि. कृष्णचन्द्र बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
172/176	52	1/0.068 है0, 2/0.228 है. कुल 0.296 है. नहरी गै.मु.खाला 0.033 कुल क्षेत्रफल 0.329 है.
- 3 कमला देवी पत्नी ओम प्रकाश, विनोद कुमार, बशीलाल पि.ओम प्रकाश बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण :-
चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
171/176	51	12/0.025 है. कुल 0.025 है. नहरी
- 4 हेतराम, पृथ्वीराज पि. लिखमा, 2/3 हि. सन्तो देवी पत्नी बलराम, पवन कुमार, सरजीत, सावित्री, सुषमा पुत्र/पुत्रीयां बलराम 1/3 हि. जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
171/176	51	24,25,/0.506 है.
172/176	52	20/0.084 है0, 21/0.253 कुल 0.843 है. नहरी
- 5 नरेन्द्र कुमार, जितेन्द्र पुत्र ओमप्रकाश बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-
चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
172/174	43	17 ता 23/1.771 है.
172/175	47	1/0.093, 2/0.228, 9/0.177,10/0.176 है. कुल 2. 445 है. नहरी गै.मु. रास्ता 0.033 कुल क्षेत्रफल 2.478 है.
- 6 कृष्णचन्द्र पुत्र रामप्रताप, मनोज कुमार, सुशील कुमार पि. कृष्णचन्द्र बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
172/175	47	3/0.228, 8/0.253, 9/0.076,10/0.052,11ता 13/759, 18 ता 22/1.265 है. कुल 2.633 है.नहरी 0.025 गै.मु. रास्ता कुल क्षेत्रफल 2.658 है.

- 7 जोतराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट साकिन नाथवाना राहिन ओ.बी.सी. संगरिया के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 6 एनटीडब्ल्यू

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
172/175	47	1/0.135, 10/0.025 है.
171/175	48	6/0.228 है. 7 ता 9/0.759 है., 12 ता 14/0.759 है. 15,16/0.456 है. 17,18/0.506 है. 23,24/0.506 है. 25/0.228 है. कुल 3.602 है. नहरी 0.100गै.मु. खाला 0.017 गै.मु. रास्ता कुल क्षेत्रफल 3.719 है.

- 8 जितेन्द्र कुमार, नरेन्द्र कुमार पि. औम प्रकाश बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 5 एमजेडी

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
160/179	4	1/0.228, 10/253 है. 52/3/0.025 गै.मु. रास्ता कुल 0.506 है. नहरी मय गै.मु. रास्ता

- 9 जगदीश पुत्र बनवारी लाल जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 5 एमजेडी

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
162/181	17	7,13,/0.506 है. 14/0.101 है. 18/0.253 है.
162/182	26	8,9,12,13,14/1.265 है. कुल 2.125 है. बारानी

- 10 सुखपाल,चन्द्रपाल पि. मनफूल राम, भीमसैन पुत्र रघुवीर बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 5 एमजेडी

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
162/181	17	14/0.152,15/0.253 है. कुल 0.405 है. बारानी

- 11 जोतराम पुत्र लिछमणराम जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 17 बीजीपी

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
157/168	89	1,9,10/0.759,12/1/0.051 है. कुल 0.810 है.बारानी

- 12 नरेन्द्र कुमार, जितेन्द्र कुमार पि.औमप्रकाश मनोज कुमार, सुशील कुमार पि. कृष्णचन्द बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:-

चक 17 बीजीपी

पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
157/168	89	11/0.253 है0, 12/1/0.202 है., 20/0.253 है. 21/1/0.101 कुल 0.809 है.बाराणी
13	सुखपाल, चन्द्रपाल पि. मनफूलराम भीमसैन पुत्र रघुवीर जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:- चक 17 बीजीपी	
पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
157/168	89	21/2/0.152 है.
157/169	95	1/0.253 है. कुल 0.405 है.बाराणी
14	शान्तीदेवी पत्नी जसराम, पवन कुमार, हंसराज पि. जसराम बहिब जाति जाट साकिन नाथवाना के हक व हिस्सा की कृषि भूमि का विवरण:- चक 10 एनटीडब्ल्यू	
पं.नं.	मु.नं.	किला नम्बर
157/174	64	10 ता 12/0.759 है. 18 ता 23/1.518 है.
156/174	65	6,7/0.506है. 12 ता 19/2.024है. 22 ता 25/1.012है. कुल 5.819 है. नहरी 5.060 बाराणी 0.759 है. कृषि भूमि

के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर उक्तानुसार खाता अलग कायम करने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे ।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 13.09.2019 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

